

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

TEN
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

प्रारूप 26

(नियम 4क देखिए)

9AA 494163

कोटा बून्दी (24) निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान लोकसभ (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - क

496

मैं अजयलाल अली पुत्र सल्लुलाल अली आयु 38 वर्ष, जो 496 गॉर्द
स्ट्रीट नो. 1, फ़ैरी जमाखाना, चन्द्रधरा पार्क 51 (डाक का पूरा पता लिखें)
कोटा (रा)

का निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

(1) मैं, सादरुपुत्र शर्मा (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम कोटा बून्दी (24) राजस्थान (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 181 के क्रम संख्या 147 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 982994881 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि हो तो) नहीं है।

Identified by Me
Sharma

ATTESTED
26/3/14
RAMSWAROOP SHARMA
Notary, (Central) Kota (Raj.)

Cont.2..

अजयलाल अली

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति:

क्र.सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं	नहीं	नहीं	नहीं
2.	पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	आश्रित 1	नहीं	नहीं	नहीं
4.	आश्रित 2	नहीं	नहीं	नहीं
5.	आश्रित 3	नहीं	नहीं	नहीं


(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें समक्ष अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करो/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं

(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की की गई	रिश्त
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	रिश्त
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है।	रिश्त
(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :-		
(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	रिश्त
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	रिश्त
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	रिश्त
(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडावेश दिया/राया है/ नहीं दिया गया है। यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडाष्टि किया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा		



26/3/14
अपराध अल

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडावेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों ब्यौरे :


- टीप्पणी 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- टीप्पणी 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
- टीप्पणी 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयरों डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक का मूल्य एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टीप्पणी 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
- टीप्पणी 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

Cont.5..

JP SHARMA
Vota Distt
Kota (Raj)
D No 6851

OF INDIA

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्नी	अश्रित 1	अश्रित 2	अश्रित 3	
(I)	हाथ में नकदी	2000	500	नहीं	नहीं	नहीं	
(II)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	P.M.B केए A/C 4148 0021000316 57 90,438/- ICICI A/C 0184 1513334 500/-	P.M.B केए A/C 4148 0021000316 57 90,438/- ICICI A/C 0184 1513334 500/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(III)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंध पत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनियो में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(IV)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाकबचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(V)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(VI)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोल (मेक, रजिस्ट्रीकरण सं. आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	



RAMSWAROOP SHARMA
Notary, (Contra) Kota (Raj)

31/12/2017

(VII)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं	3 गेज (केन) 90,500 200 gm चांदी 9000+	नहीं	नहीं	नहीं
(VIII)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(IX)	समग्र कुल मूल्य	92,938/-	1,00,500/-	नहीं	नहीं	नहीं

आ. स्थावर आस्थियों के ब्यौरे

टिप्पणी 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्थियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इदस प्रारूप में पृथकतया वर्ण किया जाना चाहिए।

क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित 1	अश्रित 2	अश्रित 3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हो या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

JOP SHARMA
Kota Dist
Kota (Raj)
Regd No 6851

INDIA

ATTENDED

RAMSWAROOP SHARMA
Notary, (Central) Kota (Raj)

उपरोक्त उल्लेख

(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थिति तिया) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हैं या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनि धान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	वाणिज्य भवन (अपार्टमेन्ट साहित अवस्थिति अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हैं या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

OF INDIA


ATTESTED

RAMSWAROOP SHARMA
Notary, (Contra) Kota (Raj.)

Cont.8.

अवगत अवगत

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट साहित अवस्थिति अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हों या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



SHARMA
a Distt (Raj)
No 6851

SHARMA
a Distt (Raj)
No 6851

अनंत अलक

	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(VI)	पूर्वोक्त (I) से (V) का कुल बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-
(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)।



क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित 1	अश्रित 2	अश्रित 3
(I)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(I)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

OF IN

SHARMA
KOTA (Raj)

31/03/11

	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	धनकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रयकर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(III)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(IV)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादा- धीन है, यदि हों तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसमें समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



Cont. 11..

अथ अथ अथ

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं - उकेडा/डी
(ख) पत्नी - पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- 10 वीं केंद्र

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम का पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण


1.	अभ्यर्थी का नाम	अजय अली
2.	डाक का पूरा पता	496, गौरव स्ट्रीट, कुशी महात्मा जवाहर लाल नेहरू रोड कोटा
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	(24) कोटा बुन्दी राजस्थान
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	भारतीय युवा शक्ति पार्टी
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	नहीं
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया 1 वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1))	नहीं

JP SHARMA
Kota Distt
(Raj)
No 6851

OF INDIA

अजय अली

	उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय किए गए हैं।					
7.	 का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई	कुल दर्शित आय		
	(क) अम्यर्थी	नहीं	नहीं	नहीं		
	(ख) पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं		
	(ग) आश्रित	नहीं	नहीं	नहीं		
8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	अश्रित 1	अश्रित 2	अश्रित 3
क.	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ख.	स्थावर आस्तिया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
i.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ii.	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
iii.	निम्नालिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ख) विरासती आस्तिया मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



उपरोक्त उल्लेख

9. दायित्व

(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

10. ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है

(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

11. उच्च शैक्षिक आर्हत -

नहीं

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम का पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

ROOP SHARMA
Kota Distt
Kota (Raj)
Regd No 6851

सत्यापन

अपगत उल्लेख

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिरक्षा इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

Cont.14..

अपगत उल्लेख

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9, और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।।

आज तारीख 26/3/2014 को सत्यापित किया गया।



अधकत अली
—
अभिसाक्षी

- टिप्पणी : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणी : 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

OP SHARMA
Kota Distt
(Raj)
No 6851

OF INDIA

(फा. सं. एच. — 11019 (6)/2012 — वि. II)
डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया

- (1) संख्यांक का. आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007
- (2) संख्यांक का. आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011